केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

मेधावी छात्रवृत्ति-2020-21 प्रदान करने हेतु छात्रों से ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।

संस्कृत विकास की योजना के अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाओं/संस्कृत महाविद्यालयों/संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्र/छात्रों से सत्र-2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत परम्परागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आधुनिक धारा में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में *पूर्वमध्यमा(प्रथमवर्ष)/9वीं, पूर्वमध्यमा(द्वितीयवर्ष)/10वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री(प्रथमवर्ष)/11वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री-(द्वितीयवर्ष)/12वीं, शास्त्री/बी.ए.(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए.(प्रथम/द्वितीय वर्ष) तथा विद्यावारिधि/पी.एचडी.* पाठ्यक्रमों में अथवा तत्सम पाठ्यक्रमों में संस्कृत/पालि/प्राकृत भाषा को मुख्य विषय या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए वर्ष-2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

- **छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन द्वारा ही स्वीकार्य है। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- **संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण तथा छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन द्वारा जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथियाँ :-**

सोपान	विस्तृत सूचना	निर्धारित तिथियाँ	
Step-1.	सभी शैक्षिक संस्थाओं को ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाईल अपडेशन करना होगा। जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है।	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की अन्तिम तिथि 28.03.2021
Step-2.	सम्बद्ध संस्था का नाम छात्रों का ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रदर्शित होने के पश्चात् छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करना होगा।	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.03.2021

छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अर्हता/शर्तें, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

अ) छात्रवृत्तियों की संख्या -

i) छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की संख्या प्रत्येक वर्ष के धन की उपलब्धता पर निर्भर होगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षित नीतियों पर आरक्षण दिया जाएगा।

ii) छात्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययरत छात्रों को प्रदान की जाएगा जिन्होंने वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय लिया हों साथ ही साथ पिछली उत्तीर्ण कक्षा में भी सम्बन्धित विषय हों।

आ) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> -

छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित हैः-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है	पात्रता मानदण्ड	छात्रवृत्ति राशि
1.	कक्षा 9वीं/पूर्वमध्यमा प्रथमवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	पिछली परीक्षा (अर्थात 8वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 8वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-5000/- प्रतिवर्ष)
2.	कक्षा 10वीं/पूर्वमध्यमा द्वितीयवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	पिछली परीक्षा (अर्थात 9वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 9वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-5000/- प्रतिवर्ष)
3.	कक्षा 11वीं/उत्तरमध्यमा प्रथमवर्ष/प्राकृशास्त्री प्रथमवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	पिछली परीक्षा (अर्थात 10वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 10वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-600/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-6000/- प्रतिवर्ष)
4.	कक्षा 12वीं/उत्तरमध्यमा द्वितीयवर्ष/प्राकृशास्त्री द्वितीयवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	पिछली परीक्षा (अर्थात 11वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 11वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-600/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-6000/- प्रतिवर्ष)
5.	शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम	इण्टरमीडिएट/उच्चत्तर माध्यमिक/12वीं या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 12वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-800/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-8000/- प्रतिवर्ष)

6.	शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम	शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र को पिछली कक्षा (शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथम वर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में दो समेस्टर/एक वर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-800/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-8000/- प्रतिवर्ष)
7.	शास्त्री तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम	शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र को पिछली उत्तीर्ण कक्षा (शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में दो समेस्टर/एक वर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-800/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-8000/- प्रतिवर्ष)
8.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में आचार्य प्रथमवर्ष/एम.ए. प्रथमवर्ष या समकक्ष	स्नातक परीक्षा के उत्तीर्णता के साथ सभी विषयों में 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड और संस्कृत/पालि/प्राकृत सम्बन्धित विषय में भी 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र के पास वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत मुख्य विषय सहित (शास्त्री तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-1000/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-10,000/- प्रतिवर्ष)
9.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में आचार्य द्वितीयवर्ष/एम.ए. द्वितीयवर्ष या समकक्ष	आचार्य प्रथमवर्ष/एम.ए. प्रथमवर्ष में संस्कृत/पालि/प्राकृत मुख्य विषय सहित 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र के पास वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत एक मुख्य विषय होना आवश्यक है।	रूपये-1000/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-10,000/- प्रतिवर्ष)
10.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में विद्यावारिधि/पीएच.डी या समकक्ष	आचार्य या एम.ए. संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कुल मिलाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस विज्ञापन से पूर्व छात्र को पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना भी आवश्यक है और पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक अन्तराल न हो।	रूपये-2500/- प्रतिमाह 12 महीनों के लिए + रूपये-5000/- प्रतिवर्ष कान्टीजेन्सी (अर्थात् रूपये-35,000/- प्रतिवर्ष) अधिकतम छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए

मुख्य सूचनाः- <u>आधुनिक धारा में छात्रवृत्ति चयन हेतु केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर वरीयताक्रम तैयार किया जाएगा तथा पारम्परिक धारा एवं आनर्स (संस्कृत) में सभी विषयों के पूर्णांक के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित होगी।</u>

इ) छूट -आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अंक प्रतिशतत में छूट देते होते हुए कम-से-कम निम्नलिखित अंकों की प्रतिशतता होना आवश्यक है :-

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	-	55 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी	-	50 प्रतिशत
दिव्यांग श्रेणी	-	50 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग छात्रों द्वारा प्राप्तांकों में छूट पाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा छात्र अपने स्वयं के नाम जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता अथवा परिवार अन्य किसी सदस्य के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों के लिए पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं है। हाँलाकि भारत सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आय (Income) और सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है।

ई) चयन की रीति -

(i) केन्द्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा गठित छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति देय होगी।

(ii) छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा को अनुदान समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में प्राप्तांक/ग्रेड के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संस्कृत आनर्स/परम्परागत धारा के छात्रों के कुल प्राप्तांकों/ग्रेड/प्रतिशतता ही मेरिट के लिए विचारणीय होगी।

(iv) चयनित छात्रों की सूची पिछली कक्षा के संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय के प्राप्ताकों की कट-ऑफ प्रतिशतता के आधार तैयार की जाएगी।

उ) अनुबंधन तथा शर्ते -

1. अभ्यार्थी का 60 प्रतिशत अंक (सामान्य), 55 प्रतिशत अंक (अन्य पिछडा वर्ग) तथा 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपंगता) या समकक्ष ग्रेड का होना आवश्यक है। अपूर्ण अंक (Rounding) को नहीं माना जाएगा।
2. छात्रों द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषयों में से कोई भी विषय लेना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार पिछली कक्षा में उक्त विषयों तथा सभी विषयों को मिलाकर प्रतिशतता तैयार होगी।
3. छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से आगामी 30 अप्रैल तक (10 माह) देय होगी। छात्रवृत्ति पिछली कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। अतः छात्रों को हर वर्ष नये रूप से आवेदन करना होगा। इसका स्वतः प्रोन्नति नहीं होगा।

4. संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्ति पर पीएच.डी./विद्यावारिधि हेतु छात्रवृत्ति दो पूर्ण वर्षों (24 माह) के लिए दी जाएगी। द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु शोधकर्ता को मार्गदर्शक एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र तथा कृत शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन जमा करना होगा।

5. योजना के अनुसार अस्थायी चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सत्यापन हेतु अस्थायी अर्ह छात्रों की सूची ई-मेल/डाक से सम्बद्ध संस्थाओं के प्राचार्य/अध्यक्ष/डीन को प्रेषित की जाएगी।

6. अस्थयी रूप से चयनित छात्रों की सूची प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन के द्वारा सत्यापित कर निम्नलिखित प्राधिकारियों से यथानियम प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा :-

(i)	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए	- राजकीय शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
(ii)	राजकीय विद्यालयों के लिए	- सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
(iii)	केन्द्रीय विद्यालयों के लिए	- सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
(iv)	राजकीय महाविद्यालयों के लिए	- सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य
(v)	सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए	- विश्वविद्यालय का कुलसचिव जहाँ से महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है।
(vi)	राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के लिए	- सम्बद्ध संस्था का प्राचार्य

निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन से अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची सत्यापित कर सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति (हार्डकॉपी) संस्थान को प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।

7. ऊपर लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्रों का विवरण मान्य नहीं होगा।

8. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार्य है। आवेदन के समय कोई भी दस्तावेज संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड या डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से संस्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

9. भुगतान का तत्काल स्थानान्तरण करने के लिए छात्र/छात्रा का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (विशेषतः SBI)में खाता होना चाहिए। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (KYC) होना भी अनिवार्य है।

10. छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा। स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में बैंक द्वारा किया जाएगा। व्यक्ति द्वारा खाते का संचालन निम्नानुसार होना चाहिए:-
    - 12वीं कक्षा तक संयुक्त खाता।
    - बी.ए., एम.ए., तथा पी.एच.डी के छात्रों के लिए अलग से खाते का संचालन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेषतः भारतीय स्टेट बैंक में होना आवश्यक है।

11. छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा। स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली/ई-स्थानान्तरण/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा और उसी सूचना सम्बन्धित विद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय को ई-मेल/डाक द्वारा भेजी जाएगी।

12. यदि किसी छात्र ने इस शैक्षणिक सत्र में अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उस छात्र को योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति अवधि के दौरान यदि कोई छात्र पारिश्रमिक कार्य अथवा अन्य पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत का समावेश नहीं है, ऐसे छात्र भी इस छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होगे।

13. सभी छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को होना आवश्यक हैं:-

(i) वह संस्कृत/पाली/प्राकृत पाठ्यक्रम का नियमित छात्र है जिस छात्रवृत्ति के लिए उसने आवेदन किया है

(ii) उसने किसी अन्य स्तोत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति या वर्ती (स्टापैंड) प्राप्त नहीं की है।

(iii) वह कहीं पर कार्यरत नहीं है।

(iv) यदि छात्र ने किसी अन्य स्तोत्र से माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा वह कार्यरत है तो उसे तत्काल संस्थान को उचित माध्यम से अवगत करना होगा।

14. जिस छात्र ने बी.एड. करने के पश्चात् एम.ए. में प्रवेश लिया है उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बी.ए. कक्षा में प्राप्तांक को आधार माना जाएगा। बशर्ते पढ़ाई में कोई अन्तराल नहीं हो। इसी प्रकार यदि कोई छात्र बी.एड/एम.एड/एम.फिल पूर्ण करने के बाद पी.एचडी/विद्यावारिधि में प्रवेश लेता है तो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उसके एम.ए. में प्राप्तांक आधार होगें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पीएच.डी./विद्यावारिधि शोधकर्ता का एम.ए. के पश्चात् अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल ही माना जा सकता है।

15. छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु एक वर्ष अथवा दो सत्रार्द्ध में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय सहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।

16. छात्र द्वारा संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में ऐच्छिक रूप से प्राप्तांको को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

17. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये राज्य के कॉलम में राज्य शब्द का अर्थ जहाँ पर आवेदक अध्ययनरत है उस राज्य का उल्लेख करना होगा।

18. जहाँ कही अंक पत्र में आधुनिक भारतीय भाषा 1/2/3 के रूप में अंक दर्शाये होगें वहाँ पर संस्कृत भाषा विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

19. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान छात्र केवल एक बार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।

20. विज्ञापन से पूर्व, ऑफ लाईन, अपूर्ण, पुराने फॉरमेट और अलग से मुद्रित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. आवश्यकतानुसार अनुबंधन एवं शर्तो में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार भी संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

कुलसचिव